

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08 मई, 2024

निम्न मामले में:

रि.या. (सि) 3256/2024 और सि.वि. अपील 13420/2024

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड और अन्य

....याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री हरप्रीत सिंह और श्री अनिल कुमार,
अधिवक्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री कुणाल टंडन, सुश्री नीति जैन,
अधिवक्तागण सह सुश्री सोनू शर्मा,
एनएचआईडीसीएल के कानूनी अधिकारी

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

1. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 09.02.2024 को पारित "अप्रभावी निष्पादनकर्ता" घोषित करने और यह निर्णय लेने वाले संचार को चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या इसके कार्यकारी एजेंसियों के साथ किसी भी निविदा में तब तक भाग नहीं ले सकेगा जब तक याचिकाकर्ता का नाम "अप्रभावी निष्पादनकर्ताओं" की सूची से हटा नहीं दिया जाता। उक्त संचार यह भी स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता को उसके संयुक्त उद्यम साझेदारों और प्रमोटरों को शामिल करना होगा, जिनकी विश्वसनीयता को परियोजना के लिए योग्य मानते समय ध्यान में रखा गया था। यह परियोजना "चोचेनफेरी से (किमी 52.000) हेलिपैड के पास (किमी 82.000) तक पेव्ड शोल्डर वाली नई ग्रीनफील्ड संरेखण के साथ दो लेन का निर्माण है। यह एसपीसी आधार पर एसएआरडीपी- एनई चरण 'ए' के तहत सिक्किम राज्य में "रेनो-मेनला स्पर (एनएच -717 बी) पैकेज-3" का एक हिस्सा है।"

2. संक्षेप में, तत्काल रिट याचिका दायर करने के लिए तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने "सिक्किम राज्य में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अधीन ईपीसी आधार पर 52.000 किलोमीटर पर चोचेनफेरी से मेनला के पास हेलीपैड तक 52.000 किमी 52.000 पर मेनला के पास हेलीपैड तक पेव्ड शोल्डर वाली नए ग्रीनफील्ड संरेखण के साथ 2 लेन के निर्माण के काम के लिए एक निविदा जारी की"। याचिकाकर्ता सफल बोलीदाता था और उसे यह कार्य सौंपा गया।

प्रत्यर्थी ने दिनांक 28.10.2020 के एक पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को 532,52,00,000/- रुपये की बोली राशि पर अनुबंध के लिए अपनी स्वीकृति दी। बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने आरएफपी के खंड 2.21 के अनुसार 26,62,60,000/- रुपये की निष्पादन प्रतिभूति और 3,16,82,000/- रुपये की अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की। परियोजना की नियत तिथि 10.12.2020 घोषित की गई थी और कार्य उक्त तिथि से 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। याचिकाकर्ता ने काम शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए हैं कि याचिकाकर्ता को काम के निष्पादन के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) दिया गया है या नहीं।

3. अभिलेख पर सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थी का यह आरोप है कि याचिकाकर्ता काम में बहुत धीमा रहा है। प्रत्यर्थी का यह आरोप है कि आरएफपी के अनुच्छेद 10 के खंड 10.2 (4) (ज) के अनुसार, याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना था कि सभी डिजाइन और ड्राइंग प्राधिकरण के इंजीनियर से अनुमोदित किए जाएंगे, जो करने में याचिकाकर्ता विफल रहा है। ऐसे कई अन्य पहलू हैं जिन पर प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के निष्पादन से संतुष्ट नहीं है। अभिलेख पर सामग्री से पता चलता है कि अनुबंध के निष्पादन में देरी के कारणों को समझाने के लिए याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी। अभिलेख पर सामग्री से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक

24.11.2022 और 11.10.2023 के दो उपचार नोटिस भी जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी का यह मामला है कि इस के बावजूद कि याचिकाकर्ता को दोषों को सुधारने के लिए कई अवसर दिए गए थे, याचिकाकर्ता ने कोई सुधार नहीं दिखाया है और अनुबंध के निष्पादन के साथ बेहद धीमा रहा है। चूंकि कार्य को निष्पादित करने में अनुबंध का पालन अत्यधिक धीमा था, इसलिए याचिकाकर्ता को दिनांक 09.02.2024 को आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था और अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में संविदात्मक चूक, उल्लंघनों और जानबूझकर गैर-निष्पादन के कारण याचिकाकर्ता के गैर-पेशेवर रवैये पर विचार करते हुए और प्राधिकरण को अपनी जवाबदेही के लिए दोषी ठहराते हुए याचिकाकर्ता को "अप्रभावी निष्पादनकर्ता" घोषित किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को "अप्रभावी निष्पादनकर्ता" घोषित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता का नाम अप्रभावी निष्पादनकर्ता की सूची में डाल दिया गया है और याचिकाकर्ता को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या इसकी निष्पादन एजेंसियों के साथ किसी भी बोली में भाग लेने से रोक दिया गया है, जब तक कि याचिकाकर्ता को अप्रभावी निष्पादनकर्ता की सूची से हटा नहीं दिया जाता।

4. यह दिनांक 09.02.2024 का संचार है जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए हैं।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दिनांक 09.02.2024 को आक्षेपित संचार दिनांक 06.10.2021 के एक परिपत्र के आधार पर पारित किया गया है, जबकि पंचाट का पत्र 28.10.2020 को जारी किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थी के पास याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं थी क्योंकि अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर दिनांक 06.10.2021 के परिपत्र के जारी होने की तिथि से पहले है जो कि अनुबंध पर लागू नहीं है। आगे यह कहा गया है कि आक्षेपित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना संचार पारित किया गया है। यह कहा गया है कि एक तरफ याचिकाकर्ता को मौजूदा अनुबंध के साथ कार्यरत रहने के लिए कहा गया है और दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ किसी भी बोली में भाग लेने से रोक दिया गया है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी को एक ही समय में विरोधाभासी निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने दायित्वों के अपने हिस्से का निष्पादन नहीं किया है और चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से पारस्परिक दायित्वों की विफलता है, इसलिए याचिकाकर्ता को एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

7. प्रतिपक्ष में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रिट याचिका की विचारणीयता का सवाल उठाते हैं, क्योंकि अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड है। यह भी कहा गया है कि आक्षेपित संचार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योग्य है, जो सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास है, दिनांक 06.10.2021 के परिपत्र के खंड 7 के अधीन है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, इस न्यायालय को वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। रिट याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को उठाने के अलावा, प्रत्यर्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से विभिन्न कमियों पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा 4.470 किमी के वायडक्ट्स में से 3.340 किमी का डिजाइन और ड्राइंग प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि परियोजना लक्ष्य 2 को पाने में भी देरी हुई है और 19.11.2023 को वित्तीय प्रगति केवल 24.04% है जो वास्तव में 30% होनी चाहिए थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कई अवसर और व्यक्तिगत सुनवाई दिए जाने और उपचार नोटिस जारी करने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कोई कारवाही नहीं की है। यह कहा गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष रही है और इसलिए, इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

8. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया गया।
9. अभिलेख पर सामग्री और याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख से पता चलता है कि तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं कि क्या याचिकाकर्ता की ओर से काम की प्रगति बहुत धीमी है या नहीं। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि प्रत्यर्थी ने दायित्वों के अपने हिस्से का पालन नहीं किया है और चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से पारस्परिक दायित्वों की विफलता है, इसलिए याचिकाकर्ता को अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के बारे में भी गंभीर विवाद हैं और यह भी विवाद है कि धीमी प्रगति के कारण वास्तविक हैं या नहीं।
10. इस समय, मध्यस्थता खंड को निकालना प्रासंगिक है। अनुबंध समझौते का अनुच्छेद 26 विवाद समाधान तंत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में यह प्रावधान है कि पक्षकारों के बीच इस करार (इसकी व्याख्या सहित) के अंतर्गत या इससे बाहर या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद, मतभेद या विवाद को सर्वप्रथम सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। खंड संविदा करार की धारा 263 और 264 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है

"26.3 पंचाट

(क) किसी भी विवाद को, जो समझौते में उपलब्ध/निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से पक्षों के बीच अनसुलझा रह जाता है, और जिसका समाधान/समझौता पक्षों द्वारा नहीं हो पाया है, चाहे दावा मूल्य कुछ भी हो, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा।"

(ख) हटाया गया

(ग) मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक औचित्यपूर्ण पंचाट ('पंचाट') देगा। इस अनुच्छेद 26 के तहत आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट, जिस तिथि को वह किया गया है उस दिन से, पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, और ठेकेदार और प्राधिकरण उस पंचाट को बिना देरी के लागू करने पर सहमत और प्रतिबद्ध होंगे।

(घ) ठेकेदार और प्राधिकरण इस बात पर सहमत हैं कि ठेकेदार और/या प्राधिकरण, जो भी हो, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के विरुद्ध एक पंचाट लागू किया जा सकता है, जैसी भी स्थित हो।

(ङ) यह समझौता और पक्षों के अधिकार एवं दायित्व, यहाँ पर निर्धारित किसी भी मध्यस्थता प्रक्रिया में पंचाट लंबित रहने के दौरान, पूरी तरह प्रभावी और लागू रहेंगे। इसके अलावा, पक्ष बिना शर्त यह स्वीकार करते हैं और सहमत

होते हैं कि उनके बीच किसी भी विवाद के बावजूद, प्रत्येक पक्ष अपने संबंधित दायित्वों का पालन करेगा, इस अनुच्छेद के अनुसार विवाद के समाधान तक।

(च) यदि वह पक्ष, जिसके विरुद्ध पंचाट दिया गया है, किसी भी कारण से न्यायालय में उस पंचाट को चुनौती देता है, तो उसे अन्य पक्ष को निर्णय की राशि के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) के बराबर एक अंतरिम भुगतान करना होगा, जो कि विवाद के अंतिम समाधान लंबित रहने तक प्रभावी होगा। उक्त राशि तुरंत भुगतान की जाएगी, बशर्ते कि उक्त राशि के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए। विवाद के अंतिम समाधान के बाद, उक्त अंतरिम भुगतान को समायोजित किया जाएगा और कोई भी शेष राशि, चाहे वह भुगतान करनी हो या वापस करनी हो, उसके अनुसार भुगतान या वापस की जाएगी, और यह ब्याज की गणना 10% (दस प्रतिशत) वार्षिक दर पर की जाएगी, जो अंतरिम भुगतान की तिथि से लेकर शेष राशि के अंतिम समाधान की तिथि तक लागू होगी।

26.4 विनियामक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या आयोग द्वारा पंचाट

किसी वैधानिक विनियामक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, या आयोग का गठन होने की स्थिति में, जो ठेकेदार और प्राधिकरण के बीच विवादों को निर्णीत करने की शक्ति रखता हो, तो ऐसे गठन के बाद उत्पन्न सभी विवाद, अनुच्छेद 26.3 के तहत मध्यस्थता के बजाय, ऐसे

विनियामक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, या आयोग द्वारा लागू विधि के अनुसार निर्णीत किए जाएंगे, और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भों को उसी अनुसार समझा जाएगा। संदेह दूर करने के लिए, यहाँ पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यहाँ दिए गए निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता, या लागू विधि में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कोई अपील दायर नहीं की जाती।

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहुत सख्ती से तर्क दिया कि मध्यस्थता खंड का अस्तित्व इस न्यायालय द्वारा वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक बाधा नहीं है और यदि आक्षेपित संचार पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो याचिकाकर्ता को आगे के अनुबंधों में भाग लेने से रोक दिया जाएगा जो नागरिक अधिकार की मृत्यु के बराबर है।

12. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, (2021) 6 एससीसी 15 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हैं। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 67 निम्नानुसार है:

"67. यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता उच्च न्यायालय को किसी उचित मामले में रिट याचिका स्वीकार करने से नहीं

रोकती है। उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद रिट याचिका स्वीकार कर सकता है, विशेष रूप से: (क) जब रिट याचिका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करती है; (ख) जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है; (ग) जब विवादित आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर है; या (घ) जब किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती है। यहाँ *व्हालपूल कार्पोरेशन बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार* [*व्हालपूल कार्पोरेशन बनाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार*, (1998) 8 एससीसी 1 एआईआर 1999 एससी 22] और *पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम बनाम गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी* [*पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्प. बनाम गायत्री कंस्ट्रक्शन कं.*, (2008) 8एससीसी 172], मामलों का संदर्भ लिया जा सकता है जो प्रत्यर्थी 1 की ओर से उल्लेखित हैं

13. उपरोक्त पैराग्राफ के अवलोकन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी रिट याचिका पर विचार कर सकता है, यदि रिट याचिका मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है; जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता हो; जहां आक्षेपित आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, या किसी अधिनियम की शक्ति को चुनौती दी जा रही हो। यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध होता है और जब पक्ष स्वयं मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत होते हैं।

14. इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले में, तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं। तथ्यों के विवादित प्रश्नों को केवल दोनों पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जोड़कर स्थापित किया जा सकता है और इसे केवल हलफनामे पर प्रमुख साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है।

15. एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम जूट कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2007) 14 एससीसी 680 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"18. उच्च न्यायालयों को सौंपा गया न्यायिक समीक्षा का अधिकार निस्संदेह व्यापक होता है, लेकिन इसे ऐसे मामलों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जहाँ मध्यस्थता अनुबंध मौजूद हो। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवाद के एक भाग के संबंध में मध्यस्थता समझौते का सहारा लिया, लेकिन विवाद के अन्य भाग का स्वयं निपटारा किया। यह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती थी, और पक्षों को समझौते के अंतर्गत अपने उपाय अपनाने का विकल्प छोड़ सकती थी। लेकिन यदि खंडपीठ का यह मत था कि पक्षों के बीच विवाद, मध्यस्थता अनुबंध द्वारा कवर किया गया है और इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए, तो इसे विवाद के किसी भाग का स्वयं निपटारा नहीं करना चाहिए था।

19. इसी तरह का प्रश्न बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एसईबी [(1976) 2 एससीसी 167: एआईआर 1976 एससी 127] और अन्य के मामले में विचारार्थ उठा, जिसमें यह माना गया था कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

करने से इनकार कर सकता है, यदि कोई वैध मध्यस्थता खंड मौजूद हो जिसके अनुसार: (एससीसी पी. 174, पैरा 24)

"24. तब यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय को ऐसे मामले में मध्यस्थता के पक्ष में अपना विवेक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ यह बोर्ड की अधिभार लगाने की शक्ति के कानून के विशुद्ध प्रश्न के रूप में है। यह प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली होती, यदि विवादित प्रश्न केवल अधिनियम की धारा 49 और 59 के तहत अधिभार लगाने के बोर्ड की शक्ति की सीमा और व्याप्ति पर होता, जैसा कि प्रारंभ में तर्क दिया गया था। उस स्थिति में, यह प्रश्न अनुबंध के धारा 23 की सामग्री में शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन सभी कानूनों के प्रश्न, जिनमें से एक अनुबंध की व्याख्या हो सकती है, को घरेलू मंच से वापस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार है और यह न्यायालय ऐसे प्रश्नों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में है। मध्यस्थता अनुबंध की धारा 23 एक विस्तृत धारा है, जिसमें अनुबंध की व्याख्या और आवश्यक रूप से धारा 13 को भी शामिल किया गया है। इसलिए, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हमें मामले को मध्यस्थता से रोकने और इसे स्वयं तय करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

20. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा संजना एम विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड [(2005) 8 एससीसी 242] होल्डिंग: (एससीसी पी. 247, पैरा 12-13) में लिया गया था:

"12. "मुख्य प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या वैकल्पिक उपचार की उपयुक्तता के आधार पर ही विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार किया जा सकता है। सामान्यतः जब पक्षों के बीच विवाद में तथ्यात्मक प्रश्नों का न्यायिक निर्णय आवश्यक हो, जिसके लिए पक्षों को मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और जिसे पक्षों द्वारा चुने गए घरेलू मंच द्वारा हल किया जा सकता है, तो न्यायालय रिट याचिका स्वीकार नहीं कर सकता है। (देखें टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा एसईबी [(1975) 2 एससीसी 436] और बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एसईबी [(1976) 2 एससीसी 167: एआईआर 1976 एससी 127] /

13. हालांकि, सार्वजनिक विधि उपचार के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की पहुँच से इनकार नहीं किया जाएगा जब कोई विवाद सार्वजनिक विधि के तत्व से जुड़ा हो और जब पक्षों द्वारा चयनित मंच उपयुक्त राहत प्रदान करने में सक्षम न हो।

21. इस न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने यह माना: (संजना एम. विग केस [(2005) 8 एससीसी 242], एससीसी पी. 248, पैरा 18)

"18. यह सही हो सकता है कि किसी मामले में, जब किसी पक्ष का कार्य एक समझौते की शर्तों और नियमों से बाहर हो और उस उद्देश्य के लिए बनाए गए घरेलू मंच के दायरे और क्षेत्र से परे हो, रिट याचिका को सुनवाई योग्य माना जा सकता है; लेकिन निस्संदेह इसके लिए ऐसे मामले को प्रस्तुत करना होगा। यह भी सही हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने

मृतसर गैस सेवा [इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस, (1991) 1 एससीसी 533] और ई. वेंकटकृष्णा [ई. वेंकटकृष्णा बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, (2000) 7 एससीसी 764] में माना, कि मध्यस्थ के पास अनुबंध की धारा 14 के प्रावधानों के मद्देनजर वितरकत्व की बहाली का निर्देश देने का आवश्यक अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है; लेकिन ऐसे मामले में भी, जब न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार करता है, उसे यह दृष्टि से नहीं चूकना चाहिए कि यदि अनुबंध के दृष्टिकोण से उत्पन्न तथ्यात्मक विवाद का गंभीर प्रश्न शामिल हो, तो सामान्य रूप से रिट याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जब मामला सार्वजनिक विधि के तत्व से जुड़ा हो या प्रत्यर्थी के सार्वजनिक विधि कार्यों से उत्पन्न प्रश्न शामिल हो, तो रिट याचिका पर विचार किया जाएगा।

22. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों की तुलना में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 के संबंध में कानूनी स्थिति में पर्याप्त बदलाव आया है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"5. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा- भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित हो, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, न्यायिक प्राधिकरण केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप करेगा, जहाँ इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया हो।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

16. जैसा कि उपर्युक्त में कहा गया है, चूंकि विवादित तथ्यात्मक प्रश्न और पारस्परिक वादों के संबंध में प्रश्न उपस्थित हैं, इस न्यायालय ने तत्काल रिट याचिका पर विचार करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उपर्युक्त मध्यस्थता अनुच्छेद यह दर्शाता है कि पक्षों ने आपस में यह निर्णय लिया है कि उनके

बीच उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को तय करने के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुना जाएगा। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह माना है कि जब एक मध्यस्थता अनुच्छेद मौजूद होता है, तो रिट न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए [देखें: गेल (इंडिया) लिमिटेड बनाम गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2014) 1 एससीसी 329, निर्मल सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय और अन्य, (2019) 7 एससीसी 356]।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब तक याचिकाकर्ता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन दायर नहीं करता है, तब तक आक्षेपित संचार पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

18. इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बना पाया है। किसी भी स्थिति में, जब यह न्यायालय मामले के तथ्यों पर रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह आक्षेपित संचार के संचालन पर रोक लगा दे क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के अधीन सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के लिए खुला है कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय करे।

19. उपरोक्त के मददेनजर, यह न्यायालय इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है।
20. परिणामस्वरूप, लंबित आवेदन (आवेदनों) के साथ, यदि कोई हो, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

सुभमोणयम प्रसाद, न्या.

08 मई 2024

एस. जाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।